2022/369

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री नरेन्द्र कुमार आदिवाल पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार निवासी वार्ड नं. 11 सरकारी बस स्टैण्ड के पीछे आबूपर्वत जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 — मुकदमा नं. 67 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख आ... हुक्म ...
10.11.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 15.09.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि वर्ष 1982 में जनवरी से दिसम्बर तक उपखण्ड कार्यालय आबूपर्वत में कार्यरत सभी कर्मचारी स्टाफ के नाम व पद से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 15.09.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि वर्ष 1982 में जनवरी से दिसम्बर तक उपखण्ड कार्यालय आबूपर्वत में कार्यरत सभी कर्मचारी स्टाफ के नाम व पद से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपीलार्थी का आवेदन जरिए पत्र क्रमांक 1073 दिनांक 21.09.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को स्थानान्तरित कर दिया था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई आपसे सम्बन्धित सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नदर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2023.03.01 18:36:12 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भंवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner